

HOSTEL RULES /GUIDELINES

Hostel accommodation is provided by the Institute with the understanding that the resident student will strictly abide by the Hostel Rules currently in force or as may be enforced from time to time. Accommodation in the Hostel cannot be claimed as a matter of right. The Institute's Administration may refuse accommodation to any student/trainee who is known to have violated the Hostel Rules or whose presence is likely to disturb the peace and tranquillity of hostel. Violation of hostel rules will make the student/trainee liable to disciplinary action including permanent expulsion from the hostel and course of studies. Students/trainees must remember that hostel is the home of the student on the campus and therefore, he/she should behave on the campus as well as outside in such a manner as to bring credit to him/her and to the Institute. A student/trainee once admitted in the hostel, will continue to be a hostel inmate throughout the training period unless otherwise debarred from the hostel on disciplinary grounds by the Disciplinary Committee constituted by the Director, NIEPVD or he/she desires to withdraw from the facility. Every student/trainee must be acquainted with all the rules and regulations of the Hostel. He / She must observe them strictly. Ignorance of rules will not be considered as an excuse.

ROOMS

1. Every student/trainee should occupy the room allotted to him/her. Change/mutual exchange of rooms after final allotment is not allowed. However, only the Hostel Warden may allow as a special case on valid and reasonable ground.
2. Only the admitted students/trainees are allowed in the hostel i.e. no squatting or loitering within the hostel premises by non-residents is allowed.
3. Male students and trainees are strictly forbidden from entering the Women's Hostel and female students from entering Boy's Hostel. Similarly, entry of senior male students/trainees is strictly prohibited in the dormitory of junior students.

4. Formation of Association of Students and Trainees on the basis of regions, caste, creed or otherwise is not permitted, during their stay in the hostels.
5. All the students and trainees have to be present while the Hostel Warden takes daily roll call/attendance. Time of the roll call or attendance will be fixed/intimated to the students and trainees by the Hostel Warden.
6. The gates of the men's hostel are closed from 9.00 p.m. to 5.00 a.m. The security guards will be available on call, in case of emergency.
7. Similarly, the gates of the girl's hostel are closed from 6.00 p.m. to 6.00 a.m. during winter and from 7.00 p.m. to 5.00 a.m. during summer.
8. Students and trainees have to abide by the bed time i.e. 10.00 p.m. in the night.
9. Students and trainees will be responsible for keeping their rooms, corridors, and surroundings clean.
10. Students and trainees are advised not to keep large amount of money and valuable articles. The Institute will not take any responsibility for any loss/damage.
11. The students and trainees are cautioned to be very careful about safety of their belongings. They should close their rooms securely when they leave the room even for short periods or when they are sleeping. Institute shall not be responsible for the loss of such items due to theft or otherwise. However, in the case of theft, the matter should be immediately reported to the concerned Hostel Warden.
12. All students and trainees are expected to use water economically. They are also expected to ensure that the water taps are closed when not in use.

13. Lights and fans should be switched off when not required. Use of electrical appliances such as heater/kerosene stove/inflammable items inside the hostel's room is strictly prohibited.
14. All students and trainees are expected to safeguard the properties of the Institute available for common use and the fittings and fixtures in the hostel. Any type of unwarranted damage done to the hostel's property has to be borne by the Students and Trainees on the basis of the cost estimate of the damaged item prepared by the Institute. This includes furniture, electrical fittings, fixtures, doors, windows, fixtures in the toilets, beddings etc.
15. In case of damage to any part of the hostel buildings, furniture, apparatus or other property of the institute, caused by inmates of the hostel, the loss shall be recovered from the persons identified as responsible for such damage. However, if the persons causing damage cannot be identified, the cost of repairing the same, as may be assessed, will be distributed equally amongst group of inmates of the hostel found responsible for the damage.
16. No student/trainee is expected to be inside the hostel during class hours and in case he/she is required to be inside the hostel due to sickness etc., the same will be intimated to the Warden well in advance with prescription from the Dispensary of the Institute. If any of the student/trainee is found outside during class hours, he/she will be marked absent in the class attendance register and necessary action will be taken against him/her.
17. No student/trainee is allowed to take out the mattress / bed sheets / chairs etc., on their own for use outside their rooms.
18. The students/trainees are strictly prohibited from consumption of alcohol, drugs, cigarettes and all other intoxicating substances in the hostel/ dining hall /campus. Any student/trainee found consuming such thing or in a drunken state in the hostel or anywhere in the campus will render himself/herself liable for strict disciplinary action, including expulsion/rustication from Hostel/Institute at short notice.

19. No student/trainee should keep any firearms, sharp-edged or lethal weapons, poisonous things or intoxicants of any kind in the Hostel. Students/trainees must not take law into their own hands, but must report all disputes to the hostel Warden /Administrative Incharge. All kinds of shouting, fighting, gambling, stealing, smoking, drunkenness and night outings are strictly prohibited. Any case under Prevention of Children for Sexual Offences (POCSO) or any case of sexual harassment is to be directly reported to the Police as per the POCSO guidelines with concurrent permission of the Director, NIEPVD. Students/Trainees are therefore, strictly warned against it.
20. Ragging in any form is a cognizable offence and severely punishable as per the Supreme Court directives leading to expulsion from the Hostel and the disciplinary action may culminate in his/her expulsion from the Institute as well. The Institute's administration may report incidents of ragging to the Police for taking appropriate action under the law.
21. All trainees/parents/guardians have to abide by the hostel rules amended by the institute from time to time.
22. Rudeness to the Hostel Warden and other members of staff in the hostel/mess will attract severe disciplinary action. They are expected to behave courteously and fairly with everyone both inside and outside the campus.
23. Any student/trainee who is found to be indulging in undesirable activities such as physical assault, damage to property, violation of hostel rules etc., will be liable to the following punishments:
 - a. He / she will be expelled from the hostel.
 - b. A record of his / her misconduct will be made in the personal file.
 - c. The cost of damage will be fully recovered from him / her together with penalty.
 - d. He / she will also be fined commensurate with the offence committed.

DINING HALL / MESS

24. Hygienic vegetarian food is prepared and served to all the hostel inmates during their stay in the hostel.
25. Timings of the mess are as follows

	Timings	Remarks
Break fast	7.30 a.m. to 8.30 a.m.	
Lunch	12.10 p.m to 1.00 p.m.	For School Students
	1.00 p.m. to 2.00 p.m.	For TCAB trainees and the students of DSE&R
Dinner	6.30 p.m to 7.45 p.m.	

26. Students/trainees are required to strictly follow mess timings and no student/trainee is allowed to take food to the rooms. All hostel inmates are advised to always maintain decent table manners.
27. Students/trainees are not allowed to take or keep food in their rooms for their friends for their consumption later.
28. No student/trainee is allowed to cook food in the room.
29. The mess committee consisting of the institute's staff and student/trainee representatives will decide about the menu and can be considered for modification during the mess committee meeting only.
30. If there is any complaint about the meals, the hostel inmates are expected to inform the Mess Incharge/Hostel Warden/Administrative Warden and register their complaint in the Complaint Register kept in the respective hostel and mess. Assistance in registering the complaint will be provided by the Hostel Warden/Lady Supervisor/Asstt. Catering Officer.
31. All the students/trainees are expected to be courteous to kitchen / cleaning staff.

32. Food ordered from outside/restaurant or online will not be permitted under any circumstances.

HOSTEL INMATES MOVEMENT

33. Hostel inmates shall not leave the campus without prior permission and without the gate pass from the Incharge, DSER/School Principal/Incharge, TCAB/Administrative Warden /Hostel Warden as the case may be . They shall have to apply in prescribed form in advance stating the reason for leaving, departure & arrival time and the address of destination. Hostel student/trainee who leave hostel without permission from the concerned Hostel Warden shall be deemed to be missing and their Parent/Guardian/Police Authorities may be intimated in consultation with the Director, NIEPVD.
34. Warden will issue a gate pass which is to be submitted to the security guard on the main gate after recording the out-going time. Trainees are expected to return to the Centre/Hostel within the time allotted to them. While returning also, they have to report to the security on the main gate about their return and they are also expected to inform Warden immediately.
35. No out pass will be issued after 6.00 p.m.
36. During vacations, students/trainees must deposit the key with the Hostel Warden.
37. During holidays if the trainee wants to go out of Dehradun, they are expected to apply in requisite form indicating the place and purpose of visit.
38. Visitors / relatives are generally allowed to meet the students/trainees with the permission of Warden during off hours only. They are expected to restrict their meeting time within one hour and they have to be in the visitors place only.
39. No visitors/relatives are allowed to be taken inside the hostel / Hostel's room under any circumstances.
40. All visitors to the hostel including the parents/guardians will have to make necessary entries in the visitor's book available at the entrance of the hostel with the security guard.

41. Students/trainees should not arrange any function or meeting within the hostel or outside or within the Centre's campus without specific permission of the concerned authorities.

RESPONSIBILITIES OF HOSTEL MANAGEMENT

42. Any breach of these rules will invite an enquiry. If the student/trainee is found guilty, then the Institute's Administration will take disciplinary action that it deems fit. Depending on the case, the Administration reserves the right to take direct disciplinary action, amounting to even expulsion at short notice from the hostel/course.
43. The Institute's Administration reserves its right to change these rules from time to time keeping the students/trainees informed.

MEDICAL FACILITIES

44. Medical facilities will be provided to the hostel inmates for common diseases by the Institute's Dispensary and by taking them to the local physician. If advised by the local physician for specialty treatment, they will be taken to the concerned speciality centre after getting acceptance from the parents. In case of prolonged illness, the student/trainee will be sent home with the parents/guardian and will be readmitted after producing medical fitness certificate.

WASHING FACILITIES

45. Washing facilities are available to all students/trainees free of cost, for washing the uniform items issued to them. They are expected to give these clothes to Hostel Warden on the stipulated date and time so that these clothes could be collected for washing / ironing during the weekend holidays. This facility will not be extended to the students/trainees enrolled under professional training programmes.
46. Other items, if required to be washed, the students/trainees are expected to manage at their own cost.

47. Women trainees will meet the authorities concerned on their day of admission together with their parents and give a declaration on the guests to be permitted to visit the trainees along with their photographs. Only such guests will be allowed to meet the trainees during visiting hours during their stay at the hostel.
48. Surprise visit/inspection will be made by the Hostel Administration and Authorities of the Institute as and when required.

MANAGEMENT STAFF

1. Sh. Kamalbeer Singh Jaggi
Principal & Co-ordinator,
Department of Special Education and Research
NIEPVD, Dehradun
Landline : 0135-2736609
Mobile No. : +91-9811370365
2. Dr. S. K Dhalwal
Assist. Professor (Clinical Psychology) &
In-charge Training Centre for the Adult Blind
Landline : 0135-2734016
Mobile : +91-9412053116
3. Sh. Amit Sharma
Principle Incharge,
Model School for the Visually Handicapped
Landline : 0135-2738060
Mobile No. : +91-9045453985
4. Smt. Laxmi Pokhriyal
Supervisor (Vocational Training)
Training Centre for the Adult Blind
Landline : 0135-2736651
Mobile No. : +91-9639146674
5. Sh. Gopi Chand
Hostel Warden (Boys)
Mobile No. +91-8279710545
6. Smt. Pooja Bijalwan
Lady Supervisor
Mobile No. +91-9456114760

VARIOUS COMMITTEES

Grievance Committee

Dr. S.K. Dhalwal Asstt. Professor (Clinical Psychology)	Chairman	+91-9412053116
Shri.Amit Sharma, Incharge Principal, MSVH	Member	+91-9045453985
Smt. Shashi Ramgaria, Trained Graduate Teacher	Member	+91-9760999272
Smt. Pooja Bijalwan, Lady Supervisor	Member	+91-9456114760

Anti Raging Committee

Dr. Jasmer Singh	Assistant Professor	+91-9812906325
Mr. Surendra Dhalwal	Assistant Professor	+91-9412053116
Mr. Sunil Kumar Shirpurkar	Assistant Professor	+91-9410770815
Mr. Yogesh Aggarwal	Representative, Civil Security Organization	+91-9837034239
Dr. Pankaj Kumar	Representative (Security)	+91-8578956677

Disciplinary Committee

Mr. Sunil Kumar Shirpurkar Assistant Professor	Chairman	+91-9410770815
Dr. Jasmer Singh, Assistant Professor	Member	+91-9812906325
Shri Amit Sharma, Incharge Principal	Member	+91-9045453985
Smt. Laxmi Pokhriyal, Supervisor (Vocational Training)	Member	+91-9639146674

Committee on Sexual Harassment at Workplace

Dr. Vibhuti Gupta, Medical Officer	Chairperson	+919650045985
Shri. S.K Dhalwal, Assistant Professor (Clinical Psychology)	Member	+91-9412053116
Shri. Amit Sharma, Incharge Principal	Member	+91-9045453985
Smt. Manju, Post Graduate Teacher	Member	+917766871434
Advocate Amrit Pal Kaur, District Court, Dehradun	Member	+918954873521
Smt. Beena Walia, Senior Programme Officer, Mamta Samajik Sanstha, 53- C Rajpur Road, Dehradun	Member	+91 9719400505

MESS COMMITTEE

1.	Coordinator, DSE&R & Incharge, Mess	Chairman	+91-9811370365
2.	Incharge Principal , MSVH	Member	+91-9045453985
3.	Incharge, Training Centre for the Adult Blind	Member	+91-9412053116
4.	Incharge, Mess	Member	+91-9811370365
5.	Incharge, MED	Member	+91-9756829498
6.	Section Officer (P)	Member	+91-9927920859
7.	Hostel Warden (Boys)	Member	+91-8279710545
8.	Lady Supervisor	Member	+91-9456114760
9.	One boy and one girl from School	Member	
10.	One boy and one girl from TCAB	Member	
11.	One boy and one girl from DSE&R	Member	

STUDENT WELFARE COMMITTEE

1. Coordinator, DSE&R	Chairman	+91-9811370365
2. Incharge Principal, MSVH	Member	+91-9045453985
3. Incharge, TCAB	Member	+91-9412053116
4. Asstt. Professor, Clinical Psychology	Member	+91-9412053116
5. Accounts Officer	Member	+91-9997757999
6. Section Officer (Purchase)	Member	+91-9927920859
7. Supervisor (Vocational Training)	Member-Secretary	+91-9639146674
8. 06 Students and trainees (02 representatives each from DSE&R, MSVH and TCAB)	Member	

छात्रावास के नियम/दिशा निर्देश

संस्थान द्वारा आवासीय छात्रावास की सुविधा इस आशय से उपलब्ध कराई जाती है कि आवासी विद्यार्थी वर्तमान में अथवा समय-समय पर लागू छात्रावास नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। विद्यार्थी छात्रावास में आवासीय सुविधा पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते। संस्थान प्रशासन किसी ऐसे विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास सुविधा देने से मना कर सकते हैं, जिन्होंने छात्रावास के नियमों का उल्लंघन किया है अथवा जिनकी उपस्थिति से छात्रावास की शांति भंग होने की संभावना है। छात्रावास के नियमों का उल्लंघन करने पर विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ छात्रावास और पाठ्यक्रम से उन्हें स्थाई रूप से निष्कासित किया जायेगा। विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को यह स्मरण रखना चाहिए कि छात्रावास संस्थान परिसर में विद्यार्थियों का घर है। अतः उन्हें परिसर में व बाहर ऐसा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनकी और संस्थान की प्रशंसा हो। छात्रावास में एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी, अपनी संपूर्ण शिक्षा/प्रशिक्षण अवधि के दौरान छात्रावास में आवासी बने रहेंगे, जब तक कि निदेशक, निपविड द्वारा गठित अनुशासनिक समिति द्वारा अनुशासनात्मक आधार पर उन्हें छात्रावास से निष्कासित नहीं किया जाता अथवा वे स्वयं इस सुविधा को नहीं छोड़ते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास के नियमों व शर्तों से अवगत होना चाहिए। उन्हें इन नियमों का कड़ाई से अनुपालन करना आवश्यक है। नियमों की अनभिज्ञता, क्षमा करने का आधार नहीं माना जायेगा।

1. प्रत्येक विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी को उन्हें आबंटित कक्ष का अधिग्रहण लेना होगा। अंतिम आबंटन के पश्चात्, कक्ष में परिवर्तन/आपस में अदला-बदली, की अनुमति नहीं है। हालांकि, उचित एवं तर्कसंगत आधार पर, छात्रावास वार्डन विशेष स्थिति में इसकी अनुमति दे सकते हैं।
2. केवल प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को ही छात्रावास में आने की अनुमति है, अर्थात् गैर-आवासियों को छात्रावास परिसर में रहने अथवा घूमने-फिरने की अनुमति नहीं है।
3. पुरुष छात्रों एवं प्रशिक्षणार्थियों का महिला छात्रावास में प्रवेश पूर्णतया निषिद्ध है। इसी प्रकार, महिला छात्राओं का पुरुष छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वरिष्ठ पुरुष विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों का कनिष्ठ विद्यार्थियों के छात्रावास (शयन-कक्ष) में प्रवेश पूर्णतया निषिद्ध है।
4. छात्रावास में रहने के दौरान विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को, क्षेत्र, जाति अथवा धर्म के आधार पर संगठन बनाने की अनुमति नहीं है।
5. छात्रावास वार्डन द्वारा दैनिक रोल कॉल/उपस्थिति अंकित करते समय, सभी विद्यार्थियों व प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। छात्रावास वार्डन द्वारा, रोल कॉल/उपस्थिति अंकित करने का समय निश्चित कर, सभी विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को सूचित किया जायेगा।
6. पुरुष छात्रावास के द्वार 9:00 बजे रात्रि से 5:00 बजे प्रातः तक बंद रहेंगे। सुरक्षाकर्मी आपातकालीन स्थिति में बुलाने पर उपलब्ध रहेंगे।
7. इसी प्रकार, महिला छात्रावास के द्वार शीतकालीन ऋतु में 6:00 बजे सायं से 6:00 बजे प्रातः तक और ग्रीष्म ऋतु में 7:00 बजे सायं से 5:00 बजे प्रातः तक बंद रहेंगे।

8. विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को रात्रि में 10.00 बजे तक सोने के समय का पालन करना होगा।
9. [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) अपने कक्ष, गलियारे एवं आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने हेतु उत्तरदायी होंगे।
10. विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को अपने पास अधिक धनराशि एवं मूल्यवान वस्तुएँ न रखने का सुझाव दिया जाता है। संस्थान किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को अपने सामान की सुरक्षा के प्रति सावधान व सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। वे अल्प अवधि के लिए अपना कक्ष छोड़ते समय अथवा सोते समय अपने कक्ष को बंद करें। उनके सामान की चोरी होने अथवा अन्य किसी भी क्षति के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, चोरी होने की दशा में जानकारी तुरंत संबंधित छात्रावास वार्डन को दी जाये।
12. सभी विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों से जल का प्रयोग मितव्ययता से करने की आशा की जाती है। **उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है** कि आवश्यकता न होने पर, पानी के नल को बंद रखना सुनिश्चित करें।
13. आवश्यकता न होने पर, बिजली व पंखे बंद रखे जायें। छात्रावास के कक्षों में, हीटर/केरोसीन स्टोव/ज्वलनशील वस्तुओं जैसे विद्युत उपकरणों का प्रयोग पूर्णतया निषिद्ध है।
14. सभी विद्यार्थियों व प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य प्रयोग हेतु उपलब्ध संस्थान की संपत्ति और छात्रावास में लगे उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। छात्रावास की संपत्ति को किसी भी प्रकार अनुचित क्षति होने पर उस क्षतिपूर्ति का वहन, संस्थान द्वारा तैयार क्षतिग्रस्त संपत्ति के लागत अनुमान के आधार पर, विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किया जायेगा। इसमें फर्नीचर, विद्युत फिटिंग, उपकरण, दरवाजे, खिड़कियाँ, शौचालय में लगे उपकरण, बिस्तर, इत्यादि शामिल हैं।
15. यदि छात्रावास की इमारतों के किसी भाग, फर्नीचर, संस्थान में लगे उपकरण अथवा अन्य संपत्ति को, छात्रावास के आवासियों द्वारा क्षति पहुँचायी जाती है, तो ऐसी क्षति के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से, उस क्षति की पूर्ति की जायेगी। यदि क्षति पहुँचाने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाती है, तो ऐसी क्षति के लिए उत्तरदायी पाये जाने वाले छात्रावास आवासियों के समूह के बीच, मरम्मत के लिए आंकी गई राशि, समान रूप से वितरित कर, वसूल की जायेगी।
16. कक्षा समय के दौरान, किसी भी [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) से छात्रावास में रहने की अपेक्षा नहीं की जाती है और यदि उन्हें अस्वस्थता इत्यादि के कारण छात्रावास में रहना आवश्यक हो तो वार्डन को, संस्थान के औषधालय से प्राप्त पर्ची सहित, अग्रिम रूप से सूचित किया जायेगा। यदि कोई [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#), कक्षा समय के दौरान बाहर पाया जाता है तो कक्षा उपस्थिति पंजिका में उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जायेगी और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
17. किसी भी [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) को गद्दे/चादरें/कुर्सियाँ इत्यादि बिना अनुमति के, अपने कक्ष से बाहर प्रयोग हेतु, स्वयं ले जाने की अनुमति नहीं है।
18. विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास/भोजन कक्ष/परिसर में, मद्यपान, नशीली दवाओं, सिगरेट और अन्य सभी मादक द्रव्यों का सेवन करना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई भी [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) छात्रावास अथवा परिसर में कहीं भी, इन वस्तुओं का उपभोग करते पाये जाते हैं अथवा मद्यपान किये

पाये गये तो उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें अल्पकालीन सूचना देकर छात्रावास/संस्थान से निष्कासन भी शामिल है।

19. कोई भी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी, छात्रावास में अपने पास कोई आग्नेयास्त्र, धारधार या घातक हथियार, जहरीली चीजें अथवा मादक द्रव्य न रखे। विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी कानून को अपने हाथ में न लें, बल्कि सभी प्रकार के विवादों की सूचना, छात्रावास वार्डन/प्रशासनिक प्रभारी को दें। किसी भी प्रकार से चिल्लाना, झगड़ा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, धूम्रपान करना, मद्यपान करना और रात्रि में बाहर घूमना, पूर्णतया वर्जित है। यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कानून) के अंतर्गत, किसी भी मामले अथवा यौन शोषण के किसी भी मामले की सीधी सूचना, निदेशक, निपविड की अनुमति के साथ ही, पॉक्सो कानून के दिशा निर्देशों के अनुसार, पुलिस को दी जाये। अतः विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को, इस बारे में कड़ी चेतावनी दी जाती है।

20. छात्रावास में किसी भी प्रकार की रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गंभीर रूप से दंडनीय है। इसके परिणामस्वरूप छात्रावास से निष्कासन और अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। संस्थान का प्रशासन, रैगिंग की घटनाओं की जानकारी, पुलिस को दे सकता है, ताकि कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जा सके।

21. सभी प्रशिक्षणार्थियों/माता-पिता/अभिभावकों को, संस्थान द्वारा समय-समय पर संशोधित छात्रावास नियमों का पालन करना होगा।

22. छात्रावास वार्डन और छात्रावास/भोजनालय के अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ, अशिष्टता करने पर गंभीर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों से, परिसर के अंदर व बाहर सभी के साथ शिष्टतापूर्वक व उचित व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है।

23. कोई भी विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी यदि अवांछनीय गतिविधियों जैसे मारपीट, संपत्ति की क्षति, छात्रावास नियमों का उल्लंघन इत्यादि में लिप्त पाया जाता है तो वह निम्नलिखित दंड का भागी होगा :-

क) उन्हें छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

ख) उनके दुर्व्यवहार की प्रविष्टि उनकी व्यक्तिगत पंजिका में की जायेगी।

ग) उनके द्वारा की गई क्षति की पूरी वसूली जुर्माने सहित उनसे की जायेगी।

घ) उन्हें किए गए अपराध के अनुरूप अर्थदंड भी दिया जायेगा।

भोजन कक्ष/भोजनालय

24. सभी छात्रावास आवासियों को, छात्रावास में उनके आवास के दौरान, स्वच्छ शाकाहारी भोजन बनाकर परोसा जाता है।

25. भोजनालय का समय इस प्रकार है :-

	समय	टिप्पणी
नाश्ता	7:30 बजे प्रातः से 8:30 बजे प्रातः	

दोपहर का भोजन	12:10 बजे दोपहर से 1:00 बजे दोपहर तक	आदर्श विद्यालय के बच्चों हेतु
	1:00 बजे दोपहर से 2:00 बजे दोपहर तक	प्रौढ़ांध प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों और विशिष्ट शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों हेतु
रात्रि भोजन	6:30 बजे से सायं 7:45 बजे रात्रि तक	

26. विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को भोजनालय समय का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है और किसी भी [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) को, अपने कक्ष में भोजन ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी छात्रावास आवासियों को, भोजन की मेज पर शालीनता व शिष्टता बनाये रखना आवश्यक है।

27. विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को, अपने मित्रों हेतु बाद में खाना खाने के लिए, भोजन ले जाने अथवा रखने की अनुमति नहीं है।

28. किसी भी [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) को अपने कक्ष में भोजन पकाने की अनुमति नहीं है।

29. संस्थान के स्टाफ और [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) प्रतिनिधियों को मिलाकर गठित भोजनालय समिति, व्यंजन सूची (मेन्यू) का निर्धारण करेगी और व्यंजन सूची में संशोधन पर विचार, केवल भोजनालय समिति की बैठक में ही किया जायेगा।

30. यदि भोजन संबंधी कोई शिकायत है तो उसकी सूचना छात्रावास के आवासियों को भोजनालय प्रभारी/छात्रावास वार्डन/प्रशासनिक वार्डन को प्रदान करना और संबंधित छात्रावास व भोजनालय में रखी शिकायत पंजिका में अपनी शिकायत दर्ज करना आवश्यक है। शिकायत दर्ज करने में सहायता, छात्रावास वार्डन/महिला पर्यवेक्षक/सहायक आहार-प्रदान अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

31. सभी विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों से, रसोई/सफाई कर्मियों के प्रति विनम्र रहने की अपेक्षा की जाती है।

32. किसी भी स्थिति में बाहर/रेस्तरां अथवा ऑनलाइन भोजन मंगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

छात्रावास के आवासियों का आवागमन

33. छात्रावास में रहने वाले आवासी, प्रभारी विशिष्ट शिक्षा विभाग/विद्यालय प्रधानाचार्य/प्रभारी, प्रौढ़ांध प्रशिक्षण केन्द्र/प्रशासनिक वार्डन /छात्रावास वार्डन, जैसा भी मामला हो, की पूर्व अनुमति और गेट पास प्राप्त किये बिना, परिसर को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें निर्धारित प्रपत्र में, परिसर छोड़ने, जाने व आने का समय तथा गंतव्य स्थल के पते सहित, आवेदन करना होगा। छात्रावास के [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#), जो संबंधित छात्रावास वार्डन की अनुमति के बिना छात्रावास को छोड़ते हैं, उन्हें लापता माना जायेगा और इस बारे में निदेशक, निपविड के परामर्श से, उनके माता-पिता/अभिभावक/ पुलिस प्राधिकारियों को सूचित किया जायेगा।

34. वार्डन द्वारा एक गेट पास जारी किया जायेगा जिसे, बाहर जाने/व वापस आने का समय दर्ज करने के पश्चात, मुख्य गेट पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी को दिया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों से आबंटित समय-सीमा के अंदर, केन्द्र/छात्रावास में लौटने की अपेक्षा की जाती है। लौटने पर भी, उन्हें मुख्य

गेट के सुरक्षाकर्मी को अपनी वापसी दर्ज करानी होगी और वे तुरंत वार्डन को भी अपने आने की सूचना देंगे।

35. सायं 6:00 बजे के पश्चात बाहर जाने के लिए गेट पास जारी नहीं किया जायेगा।

36. अवकाश के दौरान, [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) को अपने कक्ष की चाबी, छात्रावास वार्डन के पास अवश्य जमा करानी होगी।

37. अवकाश के दौरान, यदि [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) देहरादून से बाहर जाना चाहते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रपत्र में गंतव्य स्थान व उद्देश्य उल्लिखित करते हुए, आवेदन करना होगा।

38. आगंतुकों/संबंधियों को सामान्यतः केवल छुट्टी के पश्चात्, वार्डन की अनुमति से, [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) से मिलने की अनुमति दी जाती है। उन्हें मिलने का समय एक घण्टे तक ही सीमित रखना होगा और वे केवल आगंतुक कक्ष में ही मिल सकेंगे।

39. किसी भी आगंतुक को, किसी भी परिस्थिति में, छात्रावास कक्षों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

40. माता-पिता/अभिभावकों सहित सभी आगंतुकों को, छात्रावास के प्रवेश द्वार पर स्थित, सुरक्षाकर्मी के पास उपलब्ध आगंतुक पंजिका में, आवश्यक प्रविष्टियाँ करनी होंगी।

41. [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#), छात्रावास के अंदर अथवा बाहर अथवा केन्द्र परिसर में, संबंधित प्राधिकारियों की विशेष अनुमति के बिना, कोई समारोह अथवा बैठक का आयोजन नहीं करेंगे।

छात्रावास प्रबंधन के उत्तरदायित्व

42. उक्त नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर जाँच की जायेगी। यदि [विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी](#) दोषी पाये जाते हैं तो संस्थान प्रशासन द्वारा यथायोग्य अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। मामले के आधार पर, प्रशासन को सीधे अनुशासनिक कार्यवाही करने का अधिकार है जिसमें अल्पकालिक सूचना देकर छात्रावास/पाठ्यक्रम से निष्कासित भी किया जा सकता है।

43. संस्थान प्रशासन को यह अधिकार है कि वह समय-समय पर इन नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को भी अवगत कराया जायेगा।

चिकित्सा सुविधायें

44. छात्रावास आवासियों को, सामान्य रोगों के लिए, संस्थान के औषधालय द्वारा और स्थानीय चिकित्सक के पास ले जाकर, चिकित्सा सुविधायें दी जायेंगी। यदि स्थानीय चिकित्सक द्वारा, विशेषज्ञ उपचार का सुझाव दिया जाता है, तो उन्हें माता-पिता की अनुमति से, संबंधित विशेषज्ञ केन्द्र में ले जाया जायेगा। लंबी बीमारी की स्थिति में, विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को माता-पिता/अभिभावक के साथ घर भेज दिया जायेगा और चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण जमा कराने के पश्चात ही, उन्हें पुनः प्रवेश दिया जायेगा।

वस्त्र धुलाई की सुविधा

45. विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों हेतु, संस्थान द्वारा उपलब्ध करवायी गयी यूनिफार्म की धुलाई के लिए, निःशुल्क धुलाई सुविधा उपलब्ध है। उन्हें निर्धारित तिथि व समय पर, ये वस्त्र छात्रावास वार्डन को देने

होंगे, ताकि साप्ताहिक अवकाश के दौरान, इन्हें धोने/इस्त्री करने के लिए एकत्रित कर ले जा सके। सशुल्क पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को यह सुविधा नहीं दी जायेगी।

46. यदि विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थी को, यूनिफॉर्म के अतिरिक्त अन्य वस्त्र धुलवाने हैं तो इसका व्यय, उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

47. महिला प्रशिक्षणार्थी, प्रवेश के दिन अपने माता-पिता के साथ, संबंधित प्राधिकारियों से मिलेंगी और प्रशिक्षणार्थी से मिलने आने वाले आगंतुकों के चित्र सहित, एक घोषणा देंगे। केवल इन्हीं अतिथियों को, छात्रावास में उनके रहने के दौरान, मिलने के समय में ही, आने की अनुमति होगी।

48. छात्रावास प्रशासन तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा, अकस्मात् दौरा तथा निरीक्षण, कभी भी किया जा सकता है।

प्रबंधन स्टाफ

1. श्री कमलबीर सिंह जग्गी,

प्रधानाचार्य एवं समन्वयक,

विशिष्ट शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, निपविड, देहरादून

दूरभाष सं० – **0135-2736609**

मोबाइल सं० – +91-9811370365

2. डा० एस० के० ढालवाल,

सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा मनोविज्ञान)

एवं प्रभारी, प्रौढ़ान्ध प्रशिक्षण केन्द्र

दूरभाष सं० – 0135-2734016

मोबाइल सं० – +91-9412053116

3. श्री अमित शर्मा,

प्रभारी प्रधानाचार्य

दृष्टिबाधितार्थ आदर्श विद्यालय

दूरभाष सं० – 0135-2738060

मोबाइल सं० – +91-9045453985

4. श्रीमति लक्ष्मी पोखरियाल,

पर्यवेक्षक (व्यवसायिक प्रशिक्षण),

प्रौढ़ान्ध प्रशिक्षण केन्द्र,

दूरभाष सं० – 0135-2736651

मोबाइल सं० – +91-9639146674

5. श्री गोपी चन्द,

छात्रावास वार्डन (पुरुष)

मोबाइल सं०— +91—8279710545

6. श्रीमति पूजा बिजल्वाण,

महिला पर्यवेक्षक,

मोबाइल सं०— +91—9456114760

विभिन्न समितियाँ

शिकायत समिति

1.	डा0 एस0 के ढालवाल सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा मनोविज्ञान)	अध्यक्ष	+91-9412053116
2.	श्री अमित शर्मा प्रभारी प्रधानाचार्य आदर्श विद्यालय	सदस्य	+91-9045453985
3.	श्रीमति शशि रामगड़िया (टीजीटी)	सदस्य	+91-970999272
4.	श्रीमति पूजा बिजलवाण महिला पर्यवेक्षक	सदस्य	+91-9456114760

रैगिंग विरोधी समिति

1.	डा0 जसमेर सिंह	सहायक प्राध्यापक	+91-9812906325
2.	श्री सुरेन्द्र ढालवाल	सहायक प्राध्यापक	+91-9412053116
3.	श्री सुनील कुमार शिरपुरकर	सहायक प्राध्यापक	+91-9410770815
4.	श्री योगेश अग्रवाल	प्रतिनिधि, लोक सुरक्षा संगठन	+91-9837034239
5.	डा0 पंकज कुमार	प्रतिनिधि सुरक्षा	+91-8578956677

अनुशासनिक समिति

1	श्री सुनील कुमार शिरपुरकर सहायक प्राध्यापक	अध्यक्ष	+91-9410770815
2	डा0 जसमेर सिंह सहायक प्राध्यापक	सदस्य	+91-9812906325
3	श्री अमित शर्मा प्रभारी प्रधानाचार्य	सदस्य	+91-9045453985
4	श्रीमति लक्ष्मी पोखरियाल पर्यवेक्षक (व्यवसायिक प्रशिक्षण)	सदस्य	+91-9639146674
5	श्रीमति मंजू वर्मा प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	सदस्य	+91-7766871434

कार्य-स्थल पर यौन-उत्पीड़न समिति

1	डा० विभूति गुप्ता, स्वास्थ्य अधिकारी	अध्यक्षा	+919650045985
2	डा० एस० के ढालवाल, सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा मनोविज्ञान)	सदस्य	+91-9412053116
2	श्री अमित शर्मा प्रभारी प्रधानाचार्य	सदस्य	+91-9045453985
3	श्रीमती मंजू, पी०जी०टी०	सदस्य	+917766871434
4	एडवोकेट अमरित पाल कौर, जिला न्यायालय, देहरादून	सदस्य	+918954873521
5.	श्रीमती बीना वालिया, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, ममता सामाजिक संस्था, 53-सी, राजपुर माग, देहरादून	सदस्य	+91 9719400505

भोजनालय समिति

1. समन्वयक, विशिष्ट शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग एवं प्रभारी भोजनालय	अध्यक्ष	+91-9811370365
2. प्रभारी प्रधानाचार्य, आदर्श विद्यालय	सदस्य	+91-9045453985
3. प्रभारी, प्रौढान्ध प्रशिक्षण केन्द्र	सदस्य	+91-9412053116
4. प्रभारी, भोजनालय	सदस्य	+91-9811370365
5. प्रभारी, रखरखाव एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य	+91-9756829498
6. अनुभाग अधिकारी (क्रय)	सदस्य	+91-9927920859
7. हॉस्टल वार्डन (पुरुष)	सदस्य	+91-8279710545
8. महिला पर्यवेक्षक	सदस्य	+91-9456114760
9. एक छात्र और एक छात्रा आदर्श विद्यालय से	सदस्य	
10. एक छात्र और एक छात्रा प्रौढान्ध प्रशिक्षण केन्द्र से	सदस्य	
11. एक छात्र और एक छात्रा विशिष्ट शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	सदस्य	

छात्र कल्याण समिति

- | | | |
|--|---------|----------------|
| 1. समन्वयक,
विशिष्ट शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग | अध्यक्ष | +91-9811370365 |
| 2. प्रभारी प्रधानाचार्य, आदर्श विद्यालय | सदस्य | +91-9045453985 |
| 3. प्रभारी, प्रौढान्ध प्रशिक्षण केन्द्र | सदस्य | +91-9412053116 |
| 4. सहायक प्राध्यापक,
चिकित्सा मनोविज्ञान | सदस्य | +91-9412053116 |
| 5. लेखा अधिकारी | सदस्य | +91-9997757999 |
| 6. अनुभाग अधिकारी (कय) | सदस्य | +91-9927920859 |
| 7. पर्यवेक्षक व्यावसायिक प्रशिक्षण | सदस्य | +91-9639146674 |
| 8. 06 छात्र एवं प्रशिक्षणार्थी
(02 प्रतिनिधि प्रत्येक विभाग : विशिष्ट शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,
आदर्श विद्यालय और प्रौढान्ध प्रशिक्षण केन्द्र से) | सदस्य | |
